29.10.24 पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण
मे प्राप्त फर्द बटवारा रिपोर्ट पर वकील वादी
कि बहस सुनी गई. प्राप्त फर्द बटवारा रिपोर्ट
अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जावे। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

## न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ (राज0)
### पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश

दावा संख्या ::— 27/2019

सैयदअली पिता अब्दुंल वाहिद जी अंसारी निवासी बेगूं तह0 बेगूँ
वादी

बनाम

1— भवानीलाल पिता गणेश जी कहार निवासी राजगढ निवासी राजगढ तालाब तह0बेगूँ
2— नानालाल पिता हजारी लाल कहार निवासी राजगढ तालाब तह0बेगूँ
3— नारूबाई पिता हजारी कहार निवासी राजगढ तालाब तह0बेगूँ
4— उदयलाल पिता भवानीलल कहार निवासी राजगढ तालाब तह0बेगूँ
5— बंशीलाल पिता मोहनलाल कहार निवासी राजगढ तालाब तह0बेगूँ
6— मोतीलाल पिता मोहनलाल कहार निवासी राजगढ तालाब तह0बेगूँ
7— किशनाबाई पिता मोहन कहार निवासी राजगढ तालाब तह0बेगूँ
8— हीरीबाई पिता मोहन कहार निवासी राजगढ तालाब तह0बेगूँ
9— प्रेमबाई पिता मोहन कहार निवासी राजगढ तालाब तह0बेगूँ
10—सुडीबाई पति मोहन जी कहार निवासी राजगढ तालाब तह0बेगूँ
11—बरजीबाई पति नानालाल कहार निवासी राजगढ तालाब तह0बेगूँ
12— भंवरलाल पिता देवी जी कहार निवासी राजगढ तालाब तह0बेगूँ
13— तुलसीबाई पति स्व. होकमीचंद्र कहार निवासी राजगढ तालाब तह0बेगूँ
14— कालू पिता काशीराम कहार नाबालिग जरिये संरक्षक माता लछीबाई कहार निवासी राजगढ तालाब तह0बेगूँ
15— नानीबाई पिता काशीराम जी कहार नाबालिग जरिये संरक्षक माता लछीबाई कहार निवासी राजगढ तालाब तह0बेगूँ
16— लछीबाई पति काशीराम जी कहार निवासी राजगढ तालाब तह0बेगूँ
17— श्रीमान व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति राजगढ तालाब तह0 बेगूँ
18— श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय बेगूँ
प्रतिवादीगण

उपस्थित :— श्री अनिल कुमार शर्मा
अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :— 29.10.2024

### निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी की ओर से वाद पत्र अ.धा. 53 राज.काश्त.अधि. का अधिवक्ता श्री अनिल शर्मा द्वारा प्रस्तुत करते हुए वादपत्र में निवेदन इस प्रकार से किया गया कि मौजा ग्राम हरिपुरा पह0ह0 दौलतपुरा तह0 बेगूँ में वादी व प्रतिवादी सं0 1 से 16 तकी संयुक्त अविभाजित खातेदारी की कृषि आराजीयात दर्ज रेकार्ड स्थित है। जिसकी तफसील निम्न प्रकार से हैः—

| खाता संख्या | आराजी संख्या |
|---|---|
| 116 | 691 |
| 692 | 0.2000 |
| 693 | 0.3000 |
| 694 | 0.5800 |
| 695 | 0.4500 |
| 696 | 0.0800 |
| 708 | 0.2900 |
| 709 | 0.2900 |
| 814/693 | 0.2000 |
| कुल कीता—9 रकबा | 2.4300 हैक्टर |

उपरोक्त अंकित संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात में वादी का 2/25 हक हिस्सा निहित है और वादपत्र के साथ संलग्न जमाबंदी में अंकित हिस्सा अनुसार प्रतिवादीगण का भी हिस्सा निहित है और वादी व प्रतिवादीगण अपने अपने निहित हक हिस्सा आराजीयात पर मौके पर स्वतंत्र रूप से काबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। संयुक्त अविभाजित कृषि आराजीयात का मौकेपर विधिवत रूप से विभाजन नहीं होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण के मध्य

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौडगढ)

...दिन सीमाओ को लेकर एवं लगान आदि जमा कराने समय विवाद होकर मनमुटाव होता रहता है जिसके स्थाई समाधान के लिए वादी का यह वाद पत्र आप न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत है।

वादपत्र की कलम संख्या एक में वर्णित संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात का वादी के निहित हिस्सा 2/25 व जमाबंदी में अंकित प्रतिवादीगण के निहित हक हिस्सा भूमि का मौके पर व राजस्व रेकार्ड में अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी भूमि का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन करा वादी का निहित हक हिस्सा भूमि का खाता पृथक से राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु वादी का यह वादपत्र न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत है।

यह कि वाद कारण दिनांक 25.01.2019 को वादी ने आपसी सहमति से सहखातेदार से बात कर संयुत खातेदारी की भूमि का खाता विभाजन कराने के लिये प्रतिवादीगण को कहा लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा इन्कार कर दिये जाने से उत्पन्न होकर रोज वर्तमान है।

वर्णित संयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रतिवादी सं0 13 मूलीबाई के हिस्से की भूमि ग्राम सेवा सहकारी समिति राजगढ तालाब के रहन होने से समिति को जरिये व्यवस्थापक के पक्षकार बनाया गया है। साथ ही विभाजन के वादपत्र में भूमिधारी जी तहसीलदार साहब आवश्यक पक्षकार होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है।

अतः न्यायालय श्रीमान आपसे प्रार्थना है कि वादी का वादपत्र स्वीकार फरमा निम्न अनुतोष की डिकी वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाया जावें:-

(क) कि मौजा हरिपुरा प0ह0 दौलतपुरा तह0 बेगूं में वादपत्र की कलम संख्या एक में वर्णित संयुक्त खातेदारी की कृषि आराहजी में वादी के निहित हक हिस्सा 2/25 भूमि का मौके पर काबिजानुसार एवं हिस्सानुसार भूमि का अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी का मिट्स एण्ड्स बाउण्ड्स भूमि का विभाजन कराये जाने की आज्ञप्ति वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान करायी जावें।

(ख) कि बाद विभाजन वादी के निहित हक हिस्सा भूमि का खाता पृथक पृथक रूप से राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कराये जाने की आज्ञप्ति वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान करायी जावें।

(ग) कि वाद व्यय एवं अधिवक्ता शुल्क भी वादी को प्रतिवादीगण से प्रदान कराया जावें।

(घ) कि अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादी हो विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान कराया जावें।

न्यायालय में वादी का वादपत्र प्रस्तुत किया जाने के उपरान्त बाद जॉच दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, इस दावा पत्रावली में प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये। प्रतिवादी भूमिधारी तहसीलदार, बेगूं विभाजन के वादपत्र में फोर्मल पक्षकार होने से उनके द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया। दावा वादी के पक्ष में एक पक्षीय होने से दावा पत्रावली में वादी की ओर से साक्ष्य वादी हेतु वादी सैयद अली पिता अब्दुलवाहिद अंसारी का साक्ष्य हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। वादी द्वारा अपने साक्ष्य शपथ पत्र पर अपने वादपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबंदी को प्रदर्श-1 एवं नक्शाट्रेस आराजी को प्रदर्श-2 अंकित कर अपने बयान कलमबद्ध कराये गये।

पत्रावली में वादी की एक तरफा साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस ध्यानपूर्वक पत्रावली पर सुनी गई, अधिवकता वादी ने अपनी बहस को वादपत्र के अनुसार एवं नकल जमाबंदी में अंकित वादी के हिस्से के अनुसार वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर दावा प्राथमिक डिकी किये जाने का निवेदन न्यायालय के समक्ष किया गया । हमारे द्वारा बहस अधिवक्ता वादी की सुने जाने के पश्चात दावा पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी प्रदर्श-1 का अवलोकन किया गया है, अवलोकन जमाबंदी से पाया कि खाता संख्या 116 नकल जमाबंदी सं0 2072 से 2075 में वाद वर्णित आराजीयात में एक नोट अंकित किया हुआ है जिसमें नामान्तरण संख्या 945 निर्णय दिनांक 05.10.2016 बेचान से लालीबाई पत्नि नानालाल 2/25 कहार के बजाय सैयदअली पिता अब्दुलवाहीद अंसारी 2/25 नि. बेगूं के नाम दर्ज शेष बदस्तूर का अंकन किया हुआ है। इस प्रकार वादी का उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि में हिस्सा 2/25 निहित है, एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अनुसार वादी अपने निहित हक हिस्सा 2/25 का विभाजन करा पाने के अधिकारी पाये जाते है। इस प्रकार वादी का वादपत्र स्वीकार कर प्राथमिक डिकी किया जाने योग्य पाया जाता है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है, दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है। मौजा हरीपुरा प0ह0 दौलतपुरा के खाता संख्या 116 में दर्ज आराजी संख्या 691, 692, 693, 694, 695, 696, 708, 709, 814/693 कुल किता–9 कुल रकबा 2.4300 हैक्टर कुल लगान 47रू. 63पैसे में वादी का निहित हिस्सा 2/25 अनुसार एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 16 तक का हिस्सा जमाबंदी अनुसार रखते हुए आराजी का अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी का मिट्स एण्ड्स बाउण्ड्रा अनुसार भूमि का विभाजन कराये जाने हेतु तहसीलदार, बेगूँ को 1000/– रूपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर उन्हें निर्देशित किया जाता है कि भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य नियमानुसार विभाजन हिस्सा अनुसार एवं कब्जानुसार कराया जाकर भूमि के विभाजन प्रस्ताव मय नक्शाट्रेस के साथ दो प्रति में इस न्यायालय में प्रस्तत करना सुनिश्चित करें। दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है। प्राथमिक डिक्री प्रतिलिपि तहसीलदार बेगूँ को वास्ते विभाजन प्रस्ताव तैयार करा भिजवाने हेतु प्रेषित की जाती है। उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बेगूँ के पत्र कमांक/4282 दिनांक 23.09.2024 से फर्द बंटवारा इस न्यायालय को भिजवाई गई जिस पर वकील वादी की एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया, अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट को सही होना स्वीकार करते हुए दावा अंतिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया है। फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा वादी का स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा हरीपुरा प.ह. दौलतपुरा की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता हैः–

1– श्री सैयद अली पिता अब्दुल वाहीद अंसारी हिस्सा 1/3 सा. देह रहन बैंक ऑफ बडोदा शाखा पारसोली

| आराजी संख्या | रकबा हैक्टर | लगान |
|---|---|---|
| 693 मेसे | 0.1160 | |
| 709 मेसे | 0.0784 | |
| कीता– 02 | 0.1944 हैक्टर | |

2– उदयलाल पुत्र भवानीलाल कहार हिस्सा 5/46, कालू पुत्र काशीराम कहार हिस्सा 5/207, किशनाबाई पुत्री मोहन हिस्सा 5/276, तुलसीबाई पत्नी होकमीचन्द कहार हिस्सा 1/6, पूर्ण खाता रहन एस. बी. आई. शाखा बेगूँ नानालाल पुत्र हजारी कहार हिस्सा 15/368, नानीबाई पुत्री काशीराम कहरार हिस्सा 5/207, नारूबाई पुत्री हजारी कहार हिस्सा 5/46, प्रेमबाई पुत्री मोहन कहार हिस्सा 5/276, बरजीबाई पत्नी नानालाल कहार हिस्सा 5/46, बंशीलाल पुत्र मोहन कहार हिस्सा 5/276, भंवरलाल पुत्र देवी कहार हिस्सा 5/46, भवानीलाल पुत्र गणेश कहार हिस्सा 5/46, मोती पुत्र मोहन कहार हिस्सा 5/276, पूर्ण खाता रहन भूमि विकास बेंक शाखा बेगूँ लछीबाई पत्नी काशीराम कहार हिस्सा 5/207, शांतिदेवी पत्नी बंशीलाल बलाई हिस्सा 25/368, खाता रहन आई.सी.आई.सी.आई.बैंक लि. शाखा बेगूँ सूडीबाई पत्नी मोहन कहार हिस्सा 5/276, खाता रहन भूमि विकास वेंक शाखा बेगूँ हीरीबाई पुत्री मोहन कहार हिस्सा 5/276, सा. देह

| आराजी संख्या | रकवा हैक्टर | लगान |
|---|---|---|
| 692 मेसे | 0.2000 | |
| 693 मेसे | 0.1840 | |
| 694 | 0.5800 | |
| 695 | 0.4500 | |
| 696 | 0.0800 | |
| 708 | 0.2900 | |
| 709 मेसे | 0.2116 | |
| 814/693 | 0.2000 | |
| कीता– 08 | 2.1956 हैक्टर | |

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

उदयलाल पुत्र भवानीलाल कहार हिस्सा 1/10, कालू पुत्र काशीराम कहार हिस्सा 1/45, किशनाबाई पुत्री मोहन हिस्सा 1/60, तुलसीबाई पत्नी होकमीचन्द कहार हिस्सा 23/150, पूर्ण खाता रहन एस. बी. आई. शाखा बेगूं नानालाल पुत्र हजारी कहार हिस्सा 3/80, नानीबाई पुत्री काशीराम कहरार हिस्सा 1/45, नारूबाई पुत्री हजारी कहार हिस्सा 1/10, प्रेमबाई पुत्री मोहन कहार हिस्सा 1/60, बरजीबाई पत्नी नानालाल कहार हिस्सा 1/10, बंशीलाल पुत्र मोहन कहार हिस्सा 1/60, भंवरलाल पुत्र देवी कहार हिस्सा 1/10, भवानीलाल पुत्र गणेश कहार हिस्सा 1/10,

मोती पुत्र मोहन कहार हिस्सा 1/60, पूर्ण खाता रहन भूमि विकास बैंक शाखा बेगूं लछीबाई पत्नी काशीराम कहार हिस्सा 1/45, शांतिदेवी पत्नी बंशीलाल बलाई हिस्सा 1/16, खाता रहन आई.सी. आई.सी.आई.बैंक लि. शाखा बेगूं सूडीबाई पत्नी मोहन कहार हिस्सा 1/60, खाता रहन भूमि विकास बेंक शाखा बेगूं सैयदअली पुत्र अब्दुल वाहिद अंसारी हिस्सा 2/25, हीरीबाई पुत्री मोहन कहार हिस्सा 1/60, सा. देह

| आराजी संख्या | रकवा हैक्टर | किस्म |
|---|---|---|
| 691 | 0.040 | आ.चा. |
| कीता– 08 | 0.040 हैक्टर | |

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का अलग अलग किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 29.10.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या ::– 27/2019

सैयदअली पिता अब्दुल वाहिद जी अंसारी निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
वादी

बनाम

1– भवानीलाल पिता गणेश जी कहार निवासी राजगढ निवासी राजगढ तालाब तह0बेगूँ
2– नानालाल पिता हजारी लाल कहार निवासी राजगढ तालाब तह0बेगूँ
3– नारूबाई पिता हजारी कहार निवासी राजगढ तालाब तह0बेगूँ
4– उदयलाल पिता भवानीलल कहार निवासी राजगढ तालाब तह0बेगूँ
5– बंशीलाल पिता मोहनलाल कहार निवासी राजगढ तालाब तह0बेगूँ
6– मोतीलाल पिता मोहनलाल कहार निवासी राजगढ तालाब तह0बेगूँ
7– किशनाबाई पिता मोहन कहार निवासी राजगढ तालाब तह0बेगूँ
8– हीरीबाई पिता मोहन कहार निवासी राजगढ तालाब तह0बेगूँ
9– प्रेमबाई पिता मोहन कहार निवासी राजगढ तालाब तह0बेगूँ
10–सुडीबाई पति मोहन जी कहार निवासी राजगढ तालाब तह0बेगूँ
11–बरजीबाई पति नानालाल कहार निवासी राजगढ तालाब तह0बेगूँ
12– भंवरलाल पिता देवी जी कहार निवासी राजगढ तालाब तह0बेगूँ
13– तुलसीबाई पति स्व. होकमीचंद्र कहार निवासी राजगढ तालाब तह0बेगूँ
14– कालू पिता काशीराम कहार नाबालिग जरिये संरक्षक माता लछीबाई क्हार निवासी राजगढ तालाब तह0बेगूँ
15– नानीबाई पिता काशीराम जी कहार नाबालिग जरिये संरक्षक माता लछीबाई कहार निवासी राजगढ तालाब तह0बेगूँ
16– लछीबाई पति काशीराम जी कहार निवासी राजगढ तालाब तह0बेगूँ
17– श्रीमान व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति राजगढ तालाब तह0 बेगूँ
18– श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय बेगूँ

प्रतिवादीगण

## निर्णय वाद डिक्री अ0धा0 53 राज0 काश्त0 अधि0

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल कुमार शर्मा की उपस्थिती तथा प्रतिवादीगण की ओर से श्री ......................की अनुपस्थिती में इस वाद अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 29.10.2024 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूँ के समक्ष निपटारे हेतु उपस्थित होने से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है दावा अंतिम डिक्री किया जाता हैः–

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा हरीपुरा प.ह. दौलतपुरा की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता हैः–

1– श्री सैयद अली पिता अब्दुल वाहीद अंसारी हिस्सा 1/3 सा. देह रहन बैंक ऑफ बडोदा शाखा पारसोली

| आराजी संख्या | रकबा हैक्टर | लगान |
|---|---|---|
| 693 मेसे | 0.1160 | |
| 709 मेसे | 0.0784 | |
| कीता– 02 | 0.1944 हैक्टर | |

2– उदयलाल पुत्र भवानीलाल कहार हिस्सा 5/46, कालू पुत्र काशीराम कहार हिस्सा 5/207, किशनाबाई पुत्री मोहन हिस्सा 5/276, तुलसीबाई पत्नी होकमीचन्द कहार हिस्सा 1/6, पूर्ण खाता रहन एस. बी. आई. शाखा बेंगू नानालाल पुत्र हजारी कहार हिस्सा 15/368, नानीबाई पुत्री काशीराम कहरार हिस्सा 5/207, नारूबाई पुत्री हजारी कहार हिस्सा 5/46, प्रेमबाई पुत्री मोहन कहार हिस्सा 5/276, बरजीबाई पत्नी नानालाल कहार हिस्सा 5/46, बंशीलाल पुत्र मोहन कहार

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

स्सा 5/276, भंवरलाल पुत्र देवी कहार हिस्सा 5/46, भवानीलाल पुत्र गणेश कहार हिस्सा 5/46, मोती पुत्र मोहन कहार हिस्सा 5/276, पूर्ण खाता रहन भूमि विकास बैंक शाखा बेगूं लछीबाई पत्नी काशीराम कहार हिस्सा 5/207, शांतिदेवी पत्नी बंशीलाल बलाई हिस्सा 25/368, खाता रहन आई.सी.आई.सी.आई.बैंक लि. शाखा बेगूं सूडीबाई पत्नी मोहन कहार हिस्सा 5/276, खाता रहन भूमि विकास बैंक शाखा बेगूं हीरीबाई पुत्री मोहन कहार हिस्सा 5/276, सा. देह

| आराजी संख्या | रकबा हैक्टर | लगान |
|---|---|---|
| 692 मेरी | 0.2000 | |
| 693 मेरी | 0.1840 | |
| 694 | 0.5600 | |
| 695 | 0.4500 | |
| 696 | 0.0800 | |
| 708 | 0.2900 | |
| 709 मेरी | 0.2116 | |
| 814/693 | 0.2000 | |
| कीता– 08 | 2.1956 हैक्टर | |

3– उदयलाल पुत्र भवानीलाल कहार हिस्सा 1/10, कालू पुत्र काशीराम कहार हिस्सा 1/45, किशनाबाई पुत्री मोहन हिस्सा 1/60, तुलसीबाई पत्नी होकमीचन्द कहार हिस्सा 23/150, पूर्ण खाता रहन एस. बी. आई. शाखा बेंगूं नानालाल पुत्र हजारी कहार हिस्सा 3/80, नानीबाई पुत्री काशीराम कहरार हिस्सा 1/45, नारूबाई पुत्री हजारी कहार हिस्सा 1/10, प्रेमबाई पुत्री मोहन कहार हिस्सा 1/60, बरजीबाई पत्नी नानालाल कहार हिस्सा 1/10, बंशीलाल पुत्र मोहन कहार हिस्सा 1/60, भंवरलाल पुत्र देवी कहार हिस्सा 1/10, भवानीलाल पुत्र गणेश कहार हिस्सा 1/10,

मोती पुत्र मोहन कहार हिस्सा 1/60, पूर्ण खाता रहन भूमि विकास बेंक शाखा बेगूँ लछीबाई पत्नी काशीराम कहार हिस्सा 1/45, शांतिदेवी पत्नी बंशीलाल बलाई हिस्सा 1/16, खाता रहन आई.सी. आई.सी.आई.बैंक लि. शाखा बेंगूँ सूडीबाई पत्नी मोहन कहार हिस्सा 1/60, खाता रहन भूमि विकास बैंक शाखा बेगूं सैयदअली पुत्र अब्दुल वाहिद अंसारी हिस्सा 2/25, हीरीबाई पुत्री मोहन कहार हिस्सा 1/60, सा. देह

| आराजी संख्या | रकबा हैक्टर | किस्म |
|---|---|---|
| 691 | 0.040 | आ.चा. |
| कीता– 08 | 0.040 हैक्टर | |

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का अलग अलग किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 29.10.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

क्रमांक/सरिश्ता/2024/ दिनांक :–

दावा संख्या 27/2019 व अनवान सैयदअली बनाम भवानीलाल व अन्य अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट में जारी अंतिम डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगूं को पालनार्थ दी जाती है।

सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ